

**Govt. of Jharkhand**  
**Urban Development & Housing Department**

Ref. no. 1554.....

Date 23/12/2020.....

**Notification**

In compliance of **State Business Reform Action Plan (SBRAP):2020-21** action point 67 & 76 under Ease of doing business (EODB), it is hereby notified respectively:

1. Presently for making assessment & payment against the assessment of Property Tax, citizen is not required to physically visit ULB as it can be done through online.
2. To make any amendment with regard to Mutation/name change for Property Tax/ Water user charges, no fee is being charged by ULBs of Jharkhand except Ranchi Municipal Corporation(RMC), which is presently charging Mutation/name change fee for water connection.

**Annexure:** Copy of Ranchi Municipal Corporation Household Water Connection Regulation -2015 Attached.

  
**(Vinay Kumar Choubey)**

Secretary

Urban Development & Housing Department  
Govt. Jharkhand

Memo No.: SUDA/AMRUT/EODB-91/2018/...1554.....Ranchi

Date 23/12/20

Copy to: Director, State Urban Development Agency (SUDA), Director Industries

# रांची नगर निगम जल-प्रभार

एवं

## गृह जल संयोजन उप-नियम - 2015

पत्रांक :-

दिनांक :-

नगर विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची द्वारा निर्गत संकल्प - पत्रांक - 5/न0वि0/जला0-01/2015, झापांक - 904, दिनांक : 13.03.2015 में निहित निदेश के आलोक में झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 592 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए रांची नगर निगम रांची शहरी जल प्रभार एवं गृह जल संयोजन हेतु वर्ष जून 2013 में तैयार किए गए उप नियम में आंशिक संशोधन के बाद इस प्रकार होंगे :-

1. संक्षिप्त नाम क्षेत्र एवं प्रारंभ -

- (I) यह उपनियम रांची नगर निगम जल प्रभार एवं गृह जल संयोजन उपनियम- 2015 कही जा सकेगी।
- (II) यह रांची नगर निगम क्षेत्र की अधिसीमा में प्रभावी होगी।

2. परिभाषा :- इस उपनियम में जब तक कोई बात, विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो,

- (a) "अधिनियम" से अभिप्रेत है - झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011
- (b) "निगम क्षेत्र" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा रांची नगर निगम के लिए अधिसूचित क्षेत्र,
- (c) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है नगर विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची,
- (d) "वितरण" से अभिप्रेत है जल संवाहन का नली (पाईप) जो रांची नगर निगम की जलापूर्ति शाखा/कार्यकारी एजेंसी द्वारा नियंत्रित हो
- (e) "अभियंता" से अभिप्रेत है मुख्य अभियंता अथवा अधीक्षण अभियंता अथवा अन्य अभियंता जो रांची नगर निगम जलापूर्ति शाखा द्वारा अधिकृत हो
- (f) "निर्मित क्षेत्र" से अभिप्रेत है कुल निर्मित क्षेत्र जिसमें आच्छादित बालकोनी और गैरेज भी शामिल होगी,
- (g) "सर्विस पाइप" से अभिप्रेत है किसी गृह या संस्था को जलापूर्ति हेतु वितरण प्रणाली से दिये गये जल संयोजन के लिये बिछाई गई पाईप एवं अन्य फिटिंग,
- (h) "घरेलू उपभोक्ता" से अभिप्रेत है वैसे परिसर जो घरेलू उपभोग के लिये पेयजल का प्रयोग करता हो,
- (i) "वाणिज्यिक उपभोक्ता" से अभिप्रेत है वह परिसर जो सामानों के प्रदर्शन, संचयन या थोक एवं खुदरा विक्रय के लिये व्यवहृत होता हो और जिसमें भुगतान के विरुद्ध सेवा उपलब्ध होती हो,
- (j) "औद्योगिक उपभोक्ता" से अभिप्रेत है वह परिसर या भवन जो पूर्ण या आंशिक रूप से सामग्रीयों के उत्पादन निर्माण (फेब्रिकेशन), मरम्मत, जोड़ने (ऐसेम्बली), परिष्करण के लिये उपयोग होता हो यथा :- ऐसेम्बलीप्लांट, प्रयोगशाला, उर्जाघर (पावरप्लांट), परिष्करणशाला (रिफाइनरी), धूमघर (स्मोक हाउस), दुग्धशाला कारखाना आदि,
- (k) "सार्विक एवं सरकारी उपभोक्ता" से अभिप्रेत है वैसे उपभोक्ता जो घरेलू, वाणिज्यिक या औद्योगिक उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आते हो यथा :- सभी सरकारी भवन, अर्धसरकारी भवन, लोक उपक्रम के भवन, पर्वद प्राधिकार, स्थानीय - निकाय आदि, शिक्षण संस्थान, सरकार द्वारा अथवा सरकारी अनुदान से चल रहे शिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य केन्द्र (मरीज सुविधा से रहित), बैंक (निजि क्षेत्र से अलग) आदि,
- (l) वैसे उपयोग किये गये शब्द या कथन जो इस उपनियम में परिभाषित नहीं हो उनका तात्पर्य (अर्थ) वही होगा जैसा की इस अधिनियम में परिभाषित किया गया हो,

3.

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम - 2011 की धारा 197 एवं 198 के अन्तर्गत दिए गए निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों के अधीन किसी भी वितरण पाईप से किसी भी भवन में जल संयोजन कर सकेगा अथवा करवा सकेगा अथवा अनुमति प्रदान की जा सकेगी।

- (क) वैसे जल संयोजन सिर्फ तभी तक किए जा सकेंगे जब तक कि जल की पूर्ण गुणशाली आपूर्ति सुनिश्चित रहे।
- (ख) वैसे किसी भी जल संयोजन की स्वीकृति तब तक नहीं दी जा सकेगी जब तक की संबंधित व्यक्ति, जिसे जल संयोजन प्राप्त करना है, वह विहित प्रपत्र उसके साथ जल संयोजन के नक्शे की चार प्रतियां जिसमें सर्विस पाईप की साईज एवं प्रकार तथा प्रस्तावित सभी फिटिंग्स जिसे विछाया तथा लगाया जाना है उसके स्थान को लाल रंग से चित्रित किया गया हो उसे संलग्न करते हुए फोटो के साथ आवेदन करेंगे। जिसमें आवासीय/पहचान पत्र पता का प्रमाण पत्र संलग्न होगा। जल संयोजन हेतु कम्प्यूटरीकृत नक्शा A<sub>4</sub> पेपर पर Not to Scale पर उपभोक्ता स्वयं बनवाकर अपने हस्ताक्षर के साथ देंगे जिस पर पलम्बर का हस्ताक्षर नहीं रहेगा। नक्शा की जॉच पाईप लाईन निरीक्षक/कनीय अभियंता/सहायक अभियंता करेंगे। परंतु जल संयोजन स्वीकृत हो जाने के बाद रांची नगर निगम में सूचीबद्ध किसी भी पलम्बर से जल संयोजन कराया जा सकता है।
- (ग) जल संयोजन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित आवेदन दिया हुआ व्यक्ति निम्नलिखित दर से रांची नगर निगम को संयोजन शुल्क का भुगतान नहीं करता है।

विवरण	संयोजन शुल्क	
	गैर घरेलु	घरेलु
निर्मित क्षेत्र		
100 वर्ग मीटर तक	रु0 1,000/-	रु0 200/-
101 वर्ग मी0 से 200 वर्ग मी0 तक	रु0 1,200/-	रु0 500/-
201 वर्ग मी0 से 400 वर्ग मी0 तक	रु0 1,500/-	रु0 700/-
400 वर्ग मी0 से अधिक	रु0 2,000/-	रु0 1,000/-

- (घ) रांची नगर निगम द्वारा आवंटित होल्डिंग नं0, सुविधा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत आवंटित मकान संख्या के अतिरिक्त निम्नांकित कागजातों में से दो - एक आवासीय प्रमाण पत्र एवं दूसरा पहचान पत्र के आधार पर जल संयोजन की अनुमति प्रदान की जा सकेगी। -

(A) आवासीय प्रमाण पत्र के लिए :-

- (i) आवेदक के नाम से विद्युत संयोजन संबंधी साक्ष्य।
- (ii) आवेदक के नाम से दूरभाष विपत्र।
- (iii) आवेदक के नाम से निर्गत मतदाता पहचान पत्र।
- (iv) ड्राईविंग लाईसेंस
- (v) राशन कार्ड
- (vi) आवेदक के नाम से गैस कनेक्शन संबंधी साक्ष्य।
- (vii) संबंधित जमीन का विक्रय पत्र दाखिल खारिज कागजात के साथ।

(B) पहचान पत्र के लिए :-

- (i) आवेदक के नाम से निर्गत आधार कार्ड।
- (ii) पासपोर्ट
- (iii) बैंक / पोस्ट ऑफिस का खाता का पास बुक
- (iv) पैन कार्ड
- (v) सरकारी कार्यालयों द्वारा कार्यरत सरकारी कर्मचारी को निर्गत पहचान पत्र

साथ ही -

- वाणिज्यक जल संयोजन हेतु व्यापार से संबंधित निगम के द्वारा निर्गत व्यापार निबंधन कागजात एवं व्यापार के मालिक का पहचान पत्र एवं
- संस्थागत जल संयोजन हेतु संबंधित संस्था के प्रधान द्वारा Letter Head पर आवेदन पत्र एवं अन्य संबंधित कागजात।

उपरोक्त कंडिका 3 (घ) की श्रेणी में आने वाले आवेदक को एक सादे कागज में रांची नगर निगम द्वारा निर्गत शपथ पत्र देना होगा, कि वे उस मकान में

- (a) किरायेदार (मकान मालिक का सहमति पत्र कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत),
- (b) लीजधारक या,
- (c) भूमि का विधिवत् स्वामित्व प्राप्त है, परन्तु किसी कारणवश मकान का नक्शा निगम से स्वीकृत नहीं हैया,
- (d) भूमि का विधिवत् स्वामित्व नहीं है परन्तु उक्त मकान उनके द्वारा निर्मित है और उस पर उनका शांतिपूर्ण दखल कब्जा है या,
- (e) मकान का आपसी बंटवारा अन्य हिस्सेदारों के द्वारा हो चुका है परन्तु अलग होल्लिडिंग संख्या अबतक नहीं प्राप्त किये गये है। (आपसी बंटवारा का साक्ष्य)
- (f) विवादित भवनों में जल संयोजन नहीं दिया जाएगा।

(घ) बहुमंजिली इमारत में जल संयोजन हेतु अपार्टमेंट के सचिव/Society द्वारा आवेदन पत्र के साथ नगर निगम से निर्गत Occupancy Certificate की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(ङ) धारा - 3(घ) की कंडिका -[A - (i) to (vii)] एवं [B - (i) to (v)] साथ ही वाणिज्यक तथा संस्थागत के अधीन जल संयोजन प्रदान करने की अनुमति देने का अर्थ मकान या जमीन का स्वामित्व निर्धारित नहीं होगा। बल्कि यह सिर्फ जल संयोजन एवं जल प्रभार प्राप्त करने के लिए होगा।

(च) निजी बहुमंजिली इमारतों में अगर आपसी बंटवारा के बाद अपने अपने हिस्से का अलग अलग होल्लिडिंग कराया हो या रजिस्टर्ड बंटवारा का डीड रहे या आपसी बंटवारा का सहमति पत्र हो तो प्रत्येक तल/भाग के लिए अलग अलग जल संयोजन दिया जाएगा।

4 वितरण पाईप से सभी जल संयोजन Water-Meter युक्त होंगे।

5. घरेलू उपभोक्ताओं के लिए फेरूल की माप निम्न से ज्यादा नहीं होगी,

निर्मित क्षेत्र

फेरूल का व्यास

100 वर्ग मी० से कम

06 एम० एम०

100वर्ग मी० से ज्यादा तथा

10 एम० एम०

200वर्ग मी० से कम

200वर्ग मी० से ज्यादा

12 एम० एम०

400 वर्ग मी० से कम

400 वर्ग मी० से ज्यादा

16 एम० एम०

रांची नगर निगम, जलापूर्ति शाखा द्वारा प्राधिकृत किसी भी सक्षम पदाधिकारी द्वारा इन मानकों में परिवर्तन बोर्ड से अनुमति प्राप्त कर किया जा सकेगा।

6.

(क) उपभोक्ताओं द्वारा जल-दर (Water User Charge) निम्नवत् देय होगा। Water - Meter बंद हो जाने पर इसके बदलने की जवाबदेही उपभोक्ता की होगी, अन्यथा औसत पठन से 25% पठन बढ़ाकर जल-कर देय होगा। छः माह बाद जल संयोजन काट दिया जाएगा।

क्रमांक	प्रकार	संयोजन चार्ज	जल चार्ज
1	घरेलु दोनों ही एकांगी एवं बहु मंजिलि इमारत	3 (ग) के अनुरूप	6/- रू० प्रति कि० ली०
2	संस्थागत/सरकारी	5,000/- रू०	रू० 10/- प्रति कि० ली०
3	वाणिज्यिक	6,000/- रू०	रू० 15/- प्रति कि० ली०
4	औद्योगिक		
(क)	एस०एस०आई० यूनिट	6,000/- रू०	रू० 15/- प्रति कि० ली०
(ख)	लघु उद्योग को छोड़कर अन्य सभी उद्योग	10,000/- रू०	रू० 20/- प्रति कि० ली०

(ख) पूर्व से बिना मीटर के लगे सभी जल संयोजनों को भी उपभोक्ता को स्वयं के खर्च एवं पंसद का वाटर मीटर दिनांक : 31.12.2015 तक लगाना बाध्यकारी होगा, जिससे उपभोक्ता द्वारा विपत्र मिलने पर, जलापूर्ति नहीं मिलने की शिकायत का स्वतः समाधान हो जाएगा। Transition Period में होल्डिंग से सम्बन्धित मांग पंजी में उल्लेखित निर्मित क्षेत्रफल के आधार पर जल-दर निम्न प्रकार से देय होगा। -

निर्मित क्षेत्र	जल दर
100 वर्ग मीटर तक	रू० 200/- प्रति माह
101 वर्ग मी० से 200 वर्ग मी० तक	रू० 300/- प्रति माह
201 वर्ग मी० से 400 वर्ग मी० तक	रू० 500/- प्रति माह
400 वर्ग मी० से अधिक	रू० 750/- प्रति माह

- (2) उपभोक्ता को निर्धारित तिथि के अन्दर जल कर विपत्र का भुगतान करना अनिवार्य होगा अन्यथा 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज लगाया जायगा। यह ब्याज निर्धारित तिथि के बाद की अगली तिथि से माह की गणना होगी एवं 01 दिन के विलम्ब को भी एक माह का विलम्ब माना जायेगा।
- (3) तीन महीनों तक विपत्र का भुगतान नहीं करने पर जल संयोजन काट दिया जायगा तथा पुर्न संयोजन हेतु अद्यतन जल कर भुगतान के साथ 1000/-रू० अधिभार देना होगा।
- (ग) उपरोक्त (क) एवं (ख) में अंकित जल कर प्रत्येक तीन वर्ष पर थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर बढ़ोतरी की जाएगी। इसके लिए मार्च '13 के थोक मूल्य सूचकांक को Base Value माना जाएगा।

#### 7. जल संयोजन का नामांतरण

यदि गृह स्वामी का नामांतरण होता है तब नया गृह स्वामी जल संयोजन का नामांतरण हेतु 500/-रू० शुल्क के साथ सादा कागज पर यथा निम्न दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ एक आवेदन देगा :

- दाखिल खारिज नामांतरण,
- विक्रय पत्र,
- शपथ - पत्र
- अन्य कोई संबंधित कागजात,

8. अनाधिकृत जल संयोजन का विनियमन

(क) रांची नगर निगम, जलापूर्ति शाखा द्वारा वर्तमान में अनाधिकृत जल संयोजनों को इस निमित्त दिनांक : 31.12.2015 के पूर्व निम्न शुल्क के साथ आवेदन लेकर नियमित या वैध किया जा सकेगा।

(i) दण्ड 1,000/- रू0

(ii) संयोजन शुल्क जैसा कि नियम 03 एवं 10 में वर्णित है अन्य सभी आवश्यक कागजातों के साथ।

(ख) रांची नगर निगम, जलापूर्ति शाखा द्वारा अधिसूचित तिथि के पूर्व विनियमन नहीं करने वाले गृहस्वामियों का जल संयोजन काटने के साथ उनके विरुद्ध झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की सूसंगत धाराओं के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें गृह स्वामी और अध्यासी संयुक्त रूप से या अलग-अलग भी अपराध के भागी होंगे। साथ ही उक्त अधिनियम की धारा 600 एवं 607 के तहत आर्थिक दण्ड सहित मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

9. पूर्व से बिना मीटर के लगे सभी जल संयोजनों में भी उपभोक्ता को स्वयं के खर्च एवं पसंद का **I.S.I. Water Meter** लगाना अनिवार्य होगा। इसके लिए पूर्व के उपभोक्ताओं को अद्यतन जलकर जमा करना होगा। तदोपरान्त वाटर मीटर लगाने के लिए आवेदक सादे कागज पर अपना अभ्यावेदन देंगे, जिसपर रांची नगर निगम अभियंता स्वीकृति प्रदान करेंगे तथा आवेदक स्वयं के खर्च पर अपना वाटर मीटर खरीदकर रांची नगर निगम अभियंता से मीटर कार्ड निर्गत कराएँगे। संयोजन शुल्क में अगर अंतर होगा तब अंतर राशि की भरपायी उपभोक्ता करेंगे।

10. रांची नगर निगम के अभियंता के पूर्वानुमति के बिना सार्वजनिक पथ के निकट स्टैन्ड पोस्ट/चापाकल नहीं लगाये जायेंगे जबतक कि छिड़के हुए जल के बहाव का उचित प्रबन्ध सुनिश्चित नहीं हो जाए। परन्तु स्थानीय निकाय के निर्देश पर सार्वजनिक सड़क के निकट स्टैन्ड पोस्ट लगाए जा सकेगे।

11. कठिनाई को दुर करने की शक्ति :- यदि इन नियमों को लागू करने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार को यह शक्ति प्राप्त होगा कि वह इस मामले में इन नियमों के सारतत्व को प्रभावित किए बिना कोई निर्देश जारी कर सकेगा।

12. सभी जल संयोजन धारकों को होल्डिंग के साथ वसूले जा रहे जलकर के अतिरिक्त कंडिका 06 में वर्णित दर से जल दर का भुगतान करना अनिवार्य है।

13. इस उप नियम के प्रवृत्त होने के पूर्व एवं झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 के अधिसूचना तिथि के मध्य यथा झारखण्ड सरकार नगर विकास विभाग के अधिसूचना संख्या - 1624, दिनांक : 31.05.2006 तथा रांची नगर निगम जल प्रभार एवं गृह जल संयोजन उप नियम - 2013 के अधीन किये गये सभी कर्तव्यों, कृत्यों एवं जल शुल्क (Water User Charges) की वसूली आदि सभी कार्यों को वैध किया जाता है।

झारखण्ड सरकार, नगर विकास विभाग के निर्गत संकल्प - पत्रांक - 5/न0वि0/जला0-01/2015, झापांक - 904, दिनांक : 13.03.2015 के कंडिका - 03 में यह उद्धरित है कि -

जवाहरलाल नेहरू शहरी पुनरूत्थान मिशन (JnNURM) अन्तर्गत स्वीकृत केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के प्राक्कलन में House to House Connection की राशि का प्राक्धान किया जाता रहा है। JnNURM की भाँति राज्य योजनान्तर्गत संचालित जलापूर्ति योजनाओं में House to House Connection का समावेश किये जाने एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले शहरी नागरिकों को जल संयोजन शुल्क माफ करने का मामला सरकार के विचाराधीन था। सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया जाता है कि -

(क) गरीबी रेखा से उपर जीवन यापन करने वाले प्रत्येक परिवार (House Hold) (APL) को जल संयोजन शुल्क के रूप में 4,000/- रुपये (One Time) Charge के रूप में जमा करना होगा। APL से वसूली गई राशि राज्य सरकार के राजस्व में जमा किया जायेगा।

(ख) गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों (House Hold) (BPL) के लिए जल संयोजन निःशुल्क होगा।

(ग) APL/BPL द्वारा जलदर जमा करना होगा जो त्रैमासिक होगा तथा इस राशि को संबंधित नगर निकाय अपने म्युनिशिपल एकाउंट में जमा करेंगे जिसे वे जलापूर्ति योजना के रख - रखाव (O & M) पर व्यय करेंगे।

गरीब परिवारों को भी जल संयोजन हेतु निकाय द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में आवेदन करना होगा तथा निकाय द्वारा निर्धारित जलदर का भुगतान करना पड़ेगा।

इस क्रम में -

1. JnNURM / Missing Link के तहत बिछने वाली नई पाईप लाईनों से जल संयोजन हेतु आवेदन की प्रक्रिया पूर्ववत् ही रहेगी।
2. (क) जल संयोजन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित आवेदन दिया हुआ व्यक्ति निम्नलिखित दर से रांची नगर निगम को संयोजन शुल्क का भुगतान नहीं करता है।

विवरणी निर्मित क्षेत्र	संयोजन शुल्क	
	B.P.L. House Hold	A.P.L. House Hold
00 वर्ग मीटर से 400 वर्ग मीटर तक या उससे अधिक।	निःशुल्क	रु0 4,000/- (One Time)

(ख) Processing Fee के रूप में उपभोक्ताओं (APL/BPL सभी) को अतिरिक्त रु0 500/- जमा करना है।

3. APL से वसूली गई जल संयोजन की राशि राज्य सरकार के राजस्व में जमा किया जायेगा।

4.

APL एवं BPL दोनों को जल-दर (Water User Charge) त्रैमासिक (तिमाही) जमा करना होगा। इस राशि को रांची नगर निगम अपने म्युनिसिपल एकाउंट में अलग से खाता खोलकर रखेंगे जिससे वे जलापूर्ति योजना के रख-रखाव (O & M) पर व्यय करेंगे।

5. वितरण पाईप से संयोजन निम्न द्वारा किया जा सकेगा :-

(क) उपभोक्ता के मुख्य द्वार तक जल संयोजन, सभी सामग्रियों (यथा:- फेरूल, वाटर मीटर, पाईप {Pipe Length -10.00 Mtr. Only}, फूलवे भाल्व) सहित कार्यकारी एजेंसी (संबंधित पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डलों) द्वारा किया जाएगा।

(ख) सभी जल संयोजन Water-Meter युक्त होंगे।

6. (I) उपभोक्ता को निर्धारित तिथि के अन्दर जल कर विपत्र का भुगतान करना अनिवार्य होगा अन्यथा 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज लगाया जायगा। यह ब्याज निर्धारित तिथि के बाद की अगली तिथि से माह की गणना होगी एवं 01 दिन के विलम्ब को भी एक माह का विलम्ब माना जायेगा।

(II) तीन महीनों तक विपत्र का भुगतान नहीं करने पर जल संयोजन काट दिया जायगा तथा पुर्न संयोजन हेतु अद्यतन जल कर भुगतान के साथ 1000/-रु० अधिभार देना होगा।

(III) पूर्व उप नियम - 2013 के कंडिका - 10 (क) एवं (ख) में अंकित जल कर प्रत्येक तीन वर्ष पर थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर बढ़ोतरी की जाएगी। इसके लिए मार्च '13 के थोक मूल्य सूचकांक को Base Value माना जाएगा।

7. पुराने जलापूर्ति पाईप लाईन से जल संयोजन लेने में उपनियम 2013 के अनुसार एवं नये पाईप लाईन जिसका उल्लेख इस उपनियम के पार्ट - II में उद्धरत है, के अनुसार लागू रहेगा।

उपरोक्त प्रस्ताव की स्वीकृति के साथ निम्न प्रस्ताव पर भी स्वीकृति प्रदान की गई -

1. उपभोक्ताओं से जल-दर त्रैमासिक लिया जायेगा।
2. प्रत्येक त्रैमासिक भुगतान के साथ न्यूनतम 02 वर्षों का पूर्व का बकाया जल-दर लिया जायेगा।
3. यदि कोई उपभोक्ता अपने पूर्व का बकाया जल-दर एक मुस्त में देना चाहेंगे तो लिया जायेगा।
4. वाटर मीटर के साथ जल संयोजन स्वीकृत होने पर उपभोक्ता द्वारा जल संयोजन के समय वाटर मीटर नहीं लगाने एवं अन्य उपभोक्ता के द्वारा भी जल मीटर जब तक नहीं लगाये जाते हैं तब तक जल दर (Fixed rate) पर 10% Penalty (दंड शुल्क) के साथ भुगतान करना पड़ेगा।



उपभोक्ता स्वयं वाटर मीटर अधिष्ठापित करेगी जिसे निगम स्वीकार करेगी तत्पश्चात् इसे M/s Sparrow Softech Pvt. Ltd., Ranchi को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

5. Notary Public के हस्ताक्षर से बना शपथ पत्र के स्थान पर राँची नगर निगम द्वारा निर्धारित शपथ पत्र प्रारूप को भरकर अपने हस्ताक्षर के साथ जमा करना है।

यह संशोधित उपनियम दिनांक 01/07/2015 से प्रभावी रहेगा।

ह0/-

नगर आयुक्त,  
राँची नगर निगम, राँची।

ज्ञापांक:- ..... दिनांक:- .....  
प्रतिलिपि:- 1. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।  
2. प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

नगर आयुक्त  
राँची नगर निगम, राँची।

ज्ञापांक:- ..... दिनांक:- .....  
प्रतिलिपि:- माननीय उप महापौर/माननीया महापौर को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

नगर आयुक्त  
राँची नगर निगम, राँची।

ज्ञापांक:- ..... दिनांक:- .....  
प्रतिलिपि:- अपर नगर आयुक्त/उप नगर आयुक्त/सहायक कार्यपालक पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

नगर आयुक्त  
राँची नगर निगम, राँची।

ज्ञापांक:- ..... दिनांक:- .....  
प्रतिलिपि:- M/s Sparrow Softech Pvt. Ltd., GS4-GS10 Vinayaka Apartment, Kadru,  
Ranchi को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

नगर आयुक्त  
राँची नगर निगम, राँची।